बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–2–09/2021 1334 /पटना, दिनांक :– 13.5.24

नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत, नगरनौसा, चंडी, अस्थावां एवं हिलसा प्रखंडों में विभिन्न शीर्ष अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का पाँच निरीक्षण दलों द्वारा दिनांक 19.02.2021 को किये गये स्थल निरीक्षण में कार्य प्रमंडल, हरनौत अंतर्गत तुलसीगढ़ उच्च विद्यालय से गोसाई मठ पथ में पाई गई अनियमितताओं के आलोक में अधिसूचना सं0–553 दिनांक 16.03.2021 द्वारा श्री धनंजय कुमार निराला, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों पर श्री निराला के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 22.06.2021 के समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना सं0–1893 दिनांक 30.12.2021 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

3. श्री निराला के द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में विभाग को समर्पित आवेदन दिनांक 07.03.2022 के आलोक में आदेश सं0–1451 दिनांक 09.09.2022 द्वारा निलंबन अवधि दिनांक 16.03.2021 से दिनांक 29.12.2021 का निम्न रूप से विनियमित किया गया:–

(i) निलंबन अवधि दिनांक 16.03.2021 से दिनांक 29.12.2021 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

4. श्री निराला द्वारा निलंबन से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 31.12.2021 के पूर्वाहन् में मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया। तद्आलोक में कार्यालय आदेश सं0 125 सह–पठित ज्ञापांक 2897 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि दिनांक 31.12.2021 से दिनांक 04.03.2022 तक कुल 64 दिनों की अवधि का सेवा विनियमन किया गया।

5. इस प्रकार श्री निराला का निलंबन अवधि दिनांक 16.03.2021 से दिनांक 29.12.2021 का विनियमन किया गया तथा पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि दिनांक 31.12.2021 से दिनांक 04.03.2022 का सेवा विनियमन किया गया। उक्त दोनों विनियमन में दिनांक 30.12.2021 की अवधि को सम्मिलित नहीं किया गया।

6. इस संबंध में श्री निराला के द्वारा अपना आवेदन दिनांक 22.07.2023 विभाग को दिया गया, जिसमें दिनांक 30.12.2021 के विनियमन के संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। मामले

के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिनांक 30.12.2021 को निलंबन अवधि में ही गणना करते हुए विनियमित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(3) एवं 11(4) के तहत श्री निराला के आवेदन के आलोक में निलंबन अवधि के रूप में दिनांक 30.12.2021 का निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है:-

(i) निलंबन अवधि दिनांक 30.12.2021 का अनुमान्य वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि दिनांक 30.12.2021 सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

(डॉ० फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-09/2021 1334 /पटना, दिनांक :- 13.5.24

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-2-09/2021 1334 /पटना, दिनांक :- 13.5.24

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा/बेगूसराय/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत/बेगूसराय/प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री धनंजय कुमार निराला, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव